विहंगावलोकन

छावनी बोर्डों की कार्यप्रणाली

छावनी बोर्डों (सी बी), जिन्हें नगरपालिकाओं का स्थान प्राप्त है, को छावनियों में रहने वाले कार्मिकों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान नमूना जाँच किये गये 17 सी. बी. में से एक सी बी (क्लेमेंट टाउन) को छोड़कर किसी ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में नगर आयोजना पद्दतियों आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, किसी भी सी बी ने अपने निवासियों को छावनी अधिनियम के अनुसार अध्यादेशित सभी 24 प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं कीं और गरीबों के उन्नयन हेतु सी बी में केन्द्रीय सरकार की कोई भी स्कीम लागू नहीं थी। सी बी, कर तथा करेतर माध्यम से पर्याप्त राजस्व सृजन को सुनिश्चित करने में असमर्थ थे, जिसके कारण रक्षा मंत्रालय से मिलने वाले सहायता अनुदान पर उनकी निर्भरता बढ़ी। यह मुख्य रूप से हर पांच वर्ष में करों का संशोधन न किए जाने, निर्धारित दर से कम दर पर संपत्ति कर की वसूली तथा वाहन प्रवेश कर की गैर-उगाही आदि के कारण था।

(पैराग्राफ 2.1)

विशेषीकृत पैराशूटों की अनुपलब्धता

डी आर डी ओ द्वारा 2006 में विकसित कमबैट फ्री फॉल पैराशूटों का सफल उत्पादन ₹10.75 करोड़ व्यय करने के बाद भी नहीं किया जा सका। इसलिए भारतीय सेना के पैराशूट (विशेष बल) बटालियनों के पास पिछले एक दशक से अधिक समय से इन विशिष्ट पैराशूटों का अभाव है।

(पैराग्राफ 2.2)

सेना विमानन कोर का प्रकार्य

"इस अनुच्छेद/ प्रतिवेदन की विषय-वस्तु हेतु प्रासंगिक प्रतिवेदन के मुद्रित संस्करण का सन्दर्भ लें"

(पैराग्राफ 3.1)

भारतीय सेना में बी एम पी वाहन की उपलब्धता में कमी

"इस अनुच्छेद/ प्रतिवेदन की विषय-वस्तु हेतु प्रासंगिक प्रतिवेदन के मुद्रित संस्करण का सन्दर्भ लें"

(पैराग्राफ 3.2)

टी-55 टैंक के कमांडर के लिए इमेज इंटेन्सिफायर साइट की अनुचित अधिप्राप्ति

रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) के एकीकृत मुख्यालय (आई एच क्यू), सेना ने टैंक टी-55 के कमांडर के लिए फरवरी 2011 और जून 2013 के बीच ₹22.12 करोड़ मूल्य के इमेज इंटेसिफायर साइट की अधिप्राप्ति की, जबकि दिसंबर 2011 में उस टैंक को अप्रचलित घोषित किया गया था।

(पैराग्राफ 3.3)

परिनिर्धारित हर्जाने की कम कटौती

हालांकि परिनिर्धारित हर्जाने (एल डी) की उगाही संबंधी कार्यविधि ने नियत किया कि कम दरों पर एल डी की उगाही केवल उस समय की जानी थी, जब सरकार को कोई हानि नहीं हुई हो, किंतु सेना क्रय संगठन ने हानि के संबंध में तथ्यों का पता लगाए

बिना वह शर्त लगा दी और इस प्रकार दोषी संविदाकारों को अनुचित लाभ पहुँचाया। एक नमूना जाँच मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि हानि वास्तव में हुई थी।

(पैराग्राफ 3.5)

द्रवचालित टेस्ट बेन्चों का अप्रतिष्ठापन

संस्थापन/चालू होने में और मरम्मत कार्यशालाओं में अपेक्षित अवसंरचनाओं के सृजन में विलंब के कारण ₹2.23 करोड़ की लागत पर एम बी टी अर्जून के लिए अधिप्राप्त पांच हाइट्रोलिक टेस्ट बेंच में से चार नवंबर 2010 में अधिप्राप्ति से ही निष्क्रिय पड़े हुए थे।

(पैराग्राफ 3.6)

हाई-लो बेड्स की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय

महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (डी जी ए एफ एम एस) द्वारा हाई-लो बेड्स की अधिप्राप्ति हेतु संविदा में समग्र वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (सी ए एम सी) के समावेशन के संबंध में अनिर्णय के कारण पुनः निविदा करनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप 1406 बेड़ों की अधिप्राप्ति में ₹63 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.7)

लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियाँ, बचतें एवम् वार्षिक लेखाओं में संशोधन

हमारे निरीक्षणों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाईयों ने अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्ते, विविध प्रभारों, विद्युत प्रभारों की वसूली की तथा अनियमित निर्माण संस्वीकृतियों को निरस्त किया और वार्षिक लेखाओं का संशोधन किया, जिसका कुल प्रभाव ₹11.70 करोड़ था।

(पैराग्राफ 3.8)

विद्युत प्रभारों के अधिक भुगतान एवं अल्प वसूली के कारण हानि

आवश्यक नियंत्रणों का प्रयोग करने में और अनुमोदित विद्युत शुल्क का अनुवर्तन करने में दुर्ग अभियंताओं (जी ई) की ओर से हुई विफलता के कारण लेखापरीक्षा के लिए चयनित दुर्ग अभियंताओं द्वारा ₹24.54 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। निजी पार्टियों सहित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से ₹23.66 करोड़ के विद्युत प्रभारों की वसूली करने में भी जी ई विफल रहे, जो मुख्यतः ऊर्जा और नियत प्रभारों

की अल्प वसूली, बिल देने में विलंब, त्रुटिपूर्ण मीटर आदि के कारण था। अधिक भुगतान एवं अल्प वसूली की ये गलतियां एम ई एस में आंतरिक नियंत्रणों की अपर्याप्तता को रेखांकित करती हैं।

(पैराग्राफ 4.1)

परियोजना के निष्पादन का अपर्याप्त निरीक्षण

अभियंताओं द्वारा भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए), देहरादून के लिए कार्यान्वित कार्य को अपर्याप्त निरीक्षण करने के परिणामस्वरूप ₹22.75 करोड़ लागत के मुख्य भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। पांच वर्षों के विलंब से न केवल कैडेटों को आधुनिक सुविधाओं के साथ उपयुक्त प्रशिक्षण से वंचित किया, बल्कि ₹2.50 करोड़ मूल्य की अन्य प्रशिक्षण परियोजनाएँ भी रुकी रहीं।

(पैराग्राफ 4.2)

परिसंपत्ति का अनुपयोग

₹2.29 करोड़ की लागत पर अगस्त 2008 में निर्मित मिसाइल भंडारण शेड़ का उपयोग वातानुकूलन प्रणाली के अभाव के कारण उस प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सका। संस्वीकृति में भवन के साथ वातानुकूलन के लिए अनुमोदन प्रदान किए जाने के बावजूद भी सी ई एस जेड के लिए संविदा करने में विफल रहा। शेडों की अनुपलब्धता ने मिसाइलों की आहरण योजना को प्रभावित किया, क्योंकि ये मिसाइलों 110 कि. मी. की दूरी पर दूसरे स्थान पर रखी जा रही थीं और इससे प्रयोक्ताओं की परिचालन क्षमता पर प्रभाव पड़ा।

(पैराग्राफ 4.3)

स्थान उपलब्ध न होने के बावजूद ठेकों को करने के कारण सरकारी धन अवरूद्ध रहा

मुख्य अभियंता, जबलपुर क्षेत्र ने बैंफल रेंज के निर्माण हेतु खाली स्थल की उपलब्धता के बिना संविदाएं कीं। यह न केवल नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था, बल्कि इसके परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹1.68 करोड़ का भुगतान भी किया गया। अब इस कार्य को समाप्त करने के लिए मामला शुरू किया गया है।

(पैराग्राफ 4.4)

निम्न कोटि पाइपों की अधिप्राप्ति के कारण निष्फल व्यय

मुख्य अभियंता, जयपुर क्षेत्र (सी ई जे जेड़) द्वारा त्रुटिपूर्ण पाइपों की अधिप्राप्ति के कारण निम्नस्तर का कार्य कार्यान्वित हुआ। इसके परिणामस्वरूप, एक गोला-बारूद डिपो पर ₹2.33 करोड़ की लागत पर सृजित अग्नि शमन अवसंरचना को छोड़ देना पड़ा, जिससे इसपर किया गया संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ 4.5)

उच्च दरों पर ठेकों की स्वीकृति से परिहार्य व्यय

वैधता अवधि के अंदर एकीकृत वित्तीय सलाहकार (आई एफ ए) की सहमति मिलने में विलंब के कारण महानिदेशक सीमा सड़क ने निम्नतम निविदा को अनुमोदन प्रदान नहीं कर सका। तीसरे कॉल के बाद उच्च दर पर संविदा की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.89 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

ठेकेदारों से सेवा-कर की अल्प-वसूली

मुख्य अभियंता (परियोजना), विजयक द्वारा की गई पांच संविदाओं में निर्माण कार्य के सकल मूल्य पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार सेवा कर की वसूली नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप संविदाकारों से सेवा कर के रूप में ₹1.06 करोड़ की अल्प वसूली हुई।

(पैराग्राफ 5.2)

पानी के ट्रकों की खरीदारी में विलम्ब के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय

अधिप्राप्त किए जानेवाले ट्रकों के प्रकार का चयन करने हेतु महानिदेशक सीमा सड़क (डी जी वी आर) द्वारा निर्णय लेने में हुए विलंब के परिणामस्वरूप दरों में वृद्धि के कारण ₹81 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.3)

चरम प्रक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ में परियोजना प्रबंधन

टी बी आर एल द्वारा 1998 और 2013 के बीच प्रारंभ की गई 26 चयनित आर एंड डी परियोजनाओं में से टी बी आर एल 24 परियोजनाएं पूरी की थीं। निर्धारित लक्ष्यों

के प्रति सफलता, गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में, तथापि केवल 10 समाप्त परियोजनाओं में ही प्राप्त हुई थी। शेष 14 परियोजनाओं में लक्ष्यों की केवल आंशिक प्राप्ति हुई थी। कार्यकारी समिति, परियोजना निरीक्षण समिति आदि के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण करने के बावजूद 58 प्रतिशत परियोजनाएं मुख्यतया आपूर्ति आदेशों के गैर-कार्यान्वयन के कारण विलंबित हुईं।

(पैराग्राफ 6.1)

हथियार विनिर्माण निर्माणियों का उत्पादन

लेखापरीक्षा में 25 रणनीतिक शस्त्र मदों पर 2011-12 से 2013-14 के लिए छह शस्त्र विनिर्माण निर्माणियों का निष्पादन सम्मिलित था, जो एक साथ इन निर्माणियों की उत्पाद लाइन में आनेवाली 68 शस्त्रों की कुल उत्पादन लागत का 79 प्रतिशत था।

मांगकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति

2011-12 से 2015-16 के लिए अपनी आवश्यकताओं को प्रक्षेपित करने वाली सेना की रोल-ऑन-योजना को अल्प कालीन योजना निर्माण में बोर्ड की सहायता करनी थी। तथापि, सेना से प्राप्त मांगपत्र सेना की रोल-ऑन-योजना के साथ मेल नहीं खा रहे थे। गृह मंत्रालय ने, यद्यपि 2010 में एक रोल-ऑन-योजना प्रक्षेपित की थी किंतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारण बैठकों में उसकी आवश्यकताएं बहुत कम हो गयीं थी।

बोर्ड ने 68 प्रतिशत मदों में क्षमता की कमी का सामना किया और इसलिए अधिकांश मदों के लिए सेना की आवश्यकताओं की तुलना में निम्नतर लक्ष्य निर्धारित किए। बोर्ड ने पिछले वर्ष के नवंबर/दिसंबर में निर्माणियों का वास्तविक लक्ष्य प्रदान किया और इस प्रकार इनपुट सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए अपेक्षित छह महीने के समय के प्रति निर्माणियों द्वारा अग्रिम नियोजन के लिए केवल तीन महीने का समय दिया। वर्ष के मध्य में इन लक्ष्यों के संशोधन ने उत्पादन को भी भंग किया। 2011-12 से 2013 -14 के दौरान निर्माणियों ने आठ से 16 मदों के लिए 80 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त किए। किंतु पांच से 10 मदों के लिए, उपलब्धि 60 प्रतिशत से कम थी। संशोधित लक्ष्यों की तुलना में चयनित शस्त्रों के निर्गम में कमी का कुल मूल्य 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹1479 करोड़ था। इनपुट सामग्रियों की प्राप्ति में होने वाले विलंब निर्माणियों के स्लिपेज के लिए प्रमुख कारण है।

- **उत्पादन हेतु संसाधनों का विन्यास**

भंडारों की अधिप्राप्ति में हुए विलंब ने उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में निर्माणियों को प्रभावित किया। छह निर्माणियों में से तीन ने 2011-12 से 2013-14 में भंडारों

की आवश्यकता का पता लगने के पांच महीने के अंदर अपने 60 से 70 प्रतिशत आपूर्ति आदेश दिए। शेष निर्माणियां केवल 3 से 52 प्रतिशत आपूर्ति आदेशों में ही समयसीमाओं का पालन कर सकीं। व्यापार स्रोतों से अधिप्राप्ति करने में अदक्षताओं में वृद्धि फील्ड गन निर्माणी, कानपुर पर उच्च-कैलिबर शस्त्रों हेतु बैरलों के निर्माण के लिए गढ़ी वस्तुओं की मांगे पूरी करने में उप निर्माणी की असमर्थता के कारण हुई। निर्माणियां 40 से 63 प्रतिशत उदाहरणों में 15 दिनों की निर्धारित समय के भीतर भंडारों का गुणवत्ता नियंत्रण पूरा नहीं कर सकीं।

- **गुणवत्ता नियंत्रण तथा गुणवत्ता आश्वासन**

गुणवत्ता समस्याएं, निर्माणियों को लागत, लक्ष्यों की प्राप्ति और इसके अतिरिक्त बोर्ड एवं उसके उत्पादों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करके घेर लेती हैं। 'परिशोधन हेतु वापसी' तथा वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापनाओं (एस क्यू ए ई) द्वारा घोषित निराकरण के उदाहरण 5.56 मि.मी. राइफल 7.62 मि.मी. एम ए जी, 30 मि.मी. तोप और स्पेयर बैरल टी-90 जैसे कुछ उत्पादों के लिए अधिक थे। एस क्यू ए ई द्वारा अपनी गुणवत्ता निरीक्षण टिप्पणियों में पहले बतायी गयी त्रुटियों की पुनरावृति सूचित करती है कि इन टिप्पणियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। निर्माणी के गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग द्वारा निरीक्षणों में सम्मिलित गेज आयामों में परिवर्तन जैसे त्रुटियों का पता नहीं लगा और एस क्यू ए ई द्वारा अनुवर्ती चरणों में उठाई गई। प्रयोक्ताओं, अर्थात् सेना ने शस्त्र की त्रुटियों के कारण फील्ड इकाईयों में होने वाली विश्वास की कमी पर ध्यान दिया।

- **वित्तीय प्रबंधन**

पिछले तीन वर्षों की प्रवृत्तियों के आधार पर वर्ष के आरंभ में उत्पादों के लिए निर्गम मूल्य नियत करने का अभ्यास ऐसे ढांचे में कार्य कर सकता था, जिसमें लागत नियंत्रण प्रभावकारी था तथा घट-बढ़, विशेषकर ऊपरी खर्च में, नियंत्रित थी। तथापि इन निर्माणियों की स्थिति यह नहीं थी, जिसने अधिक ऊपरी खर्च, विशेषकर नियत ऊपरी खर्च पर कार्य किया। उत्पादों पर ऊपरी खर्च का संविभाजन असंगत था, उसे कुछ उत्पादों पर अतिभारित करने का अर्थ उनको महंगा बनाना था। आयुध निर्माणियां सामान्यतः लागत नियंत्रण एवं लागत कटौती पर उचित ध्यान दिए बिना उनको दी जाने वाली मांग को पूरा करने के लिए सकेंद्रित हैं। सशस्त्र सेनाओं के पास सुनिश्चित निधियों की उपलब्धता ने उच्च निर्गम मूल्यों की परवाह किए बिना बोर्ड से उत्पादों को स्वीकार करने में उनकी सहायता की।

- **भविष्य के लिए योजना**

बोर्ड ने सशस्त्र सेनाओं को "उचित मूल्य पर नूतन प्रौद्योगिकी की सामयिक आपूर्ति" का प्रावधान करने हेतु संदर्श योजना 2007-12 तैयार की। संदर्श योजना की

कल्पनाओं को यथार्थता में परिवर्तित नहीं किया जा सका, क्योकिं उनका कार्यान्वयन नयी मदों के विकास में विलंबों के कारण बाधित हुआ।

जबकि बोर्ड ने परवर्ती अवधि के लिए कोई योजना नहीं बनायी, परिवेश में तात्विक रूप में परिवर्तन हो गया है। सेना ने 15 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालीन एकीकृत संदर्श योजना (एल टी आई पी पी) बनायी, जिसके संबंध में बोर्ड ने अपने आप को एक महत्वपूर्ण रोल के रूप में खड़ा करने हेतु अभी तक कोई योजना नहीं बनायी है।

लघु शस्त्र निर्माणियां, मांगकर्ताओं से गिरती मांग और गुणवत्ता समस्यायें; अपने नये उत्पादों के लिए ग्राहकों से कमजोर प्रतिक्रिया; और नयी पीढ़ी के कारबइनों के लिए परियोजना में विलंब जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही थीं। 81 मि.मी. मोर्टार, 105 मि.मी. एल एफ जी उच्च कैलिबर रेंज का पारंपरिक शस्त्र कम हो रहा है। इसके अतिरिक्त, विलंबित स्वदेशीकरण तथा कुछ असंब्लियों के आयात पर निरंतर निर्भरता ने मांग को पूरा करने में निर्माणियों के सामने चुनौती खड़ी कर दी।

(पैराग्राफ 7.2)

रसायन निर्माता निर्माणियों का कार्य निष्पादन

रसायनिक निर्माणी समूह का प्रचालन समूहः गोला-बारूद एवम् विस्फोटक (ए एंड ई) के अंतर्गत एक उप-समूह है। 2011–12 से 2013-14 के दौरान उत्पादन की कुल लागत का 35 प्रतिशत इस समूह के हिसाब में था। 2011-12 से 2013-14 के दौरान चार रसायनिक उत्पादन निर्माणियों, जिनकी वार्षिक उत्पादन लागत ₹755 करोड़ थी, ने आयुध निर्माणी बोर्ड की उत्पादन लागत का लगभग पांच प्रतिशत देने में सहयोग किया।

- **मांगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना**

अनेक मामलों में अधिकांश उत्पादों के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्माणियों को लक्ष्य के संशोधनों की मध्य-वर्ष वृद्धि के परिणामस्वरूप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि निर्माणियां मूल लक्ष्य प्राप्त करने में भी असमर्थ थीं।

रसायनिक निर्माणी समूह के लिए प्रत्येक वर्ष जनवरी तक उत्पादन लक्ष्य को पूरा करना आवश्यक है; यह प्रतिबद्धता निर्माणियां पूरी नहीं कर सकीं। इससे गोला-बारूद भराव निर्माणियों के उत्पादन कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा।

उच्च विस्फोटक निर्माणी किरकी, आयुध निर्माणी भंडारा और आयुध निर्माणी इटारसी में मांगकर्ताओं को उत्पादों के वास्तविक भौतिक निर्गम के बिना ऋण का दावा करने हेतु अग्रिम निर्गम वाउचर तैयार करने की अनियमित प्रथा विद्यमान थी।

बोर्ड में लक्ष्यों के प्रति उत्पादन का निरीक्षण करने के लिए आंतरिक नियंत्रण नेमी प्रकृति के थे और इसलिए उनकी प्रभावकारिता कम थी।

- **उत्पादन के लिए संसाधनों की प्राथमिकता निर्धारण**

निर्माणियाँ एक-तिहाई अधिप्राप्तियों में आपूर्ति आदेश देने में बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर सकीं। इसके अतिरिक्त, यदि भंडारों की सुपुर्दगी के लिए समय सीमा को सम्मिलित किया जाना था तो अधिप्राप्ति के लिए उत्पादन वर्ष का अधिकांश समय नष्ट हो जाएगा। अधिप्राप्ति में विलंबों के कारण, निर्माणियां उत्पादन की गति को नहीं बनाए रख सकी, जबकि वर्ष के अंतिम भाग में उत्पादन चरम सीमा पर होता है। निर्माणियों द्वारा बतलायी गई श्रमिक उत्पादकता अधिक थी और लक्ष्यों के प्रति निष्पादन के साथ उसका कोई सहसंबंध नहीं था।

- **गुणवत्ता नियत्रण एवं गुणवत्ता आश्वासन**

गुणवत्ता नियंत्रण के दौरान निराकरण के मामले में तथा प्रूफ स्थापना में अत्याधिक समय लिया गया, जिसके कारण लक्ष्यों के प्रति प्राप्ति पर प्रपाती प्रभाव पड़ा।

निर्माणियों पर समर्पित प्रूफ रेंज के अभाव के कारण गतिशील प्रूफ का आयोजन करने में विलंब हुआ; दिसंबर 2008 में संस्वीकृत एक परियोजना को छोड़ दिया गया तथा इसके विकल्प फलन में नहीं आये।

- **वित्तीय प्रबंधन**

निर्माणियां अधिक ऊपरी खर्च पर चल रही थी, जिसने उत्पादन लागत को बढ़ाया। पिछले तीन वर्षों की प्रवृत्तियों के आधार पर वर्ष के आरंभ में उत्पादों के लिए निर्गम मूल्य नियत करने का अभ्यास ऐसे ढांचे में कार्य कर सकता था, जिसमें लागत में असाधारण उतार-चढ़ाव का नज़दीकी निरीक्षण करने हेतु लागत नियंत्रण प्रभावकारी था। तथापि निर्माणियों की स्थिति यह नहीं थी, जिसके लिए दो नियंत्रण थे: शॉप बजट समिति और तिमाही वित्तीय समीक्षा, जो संरचनात्मक कमियों से पीड़ित अपर्याप्त हस्तक्षेप हैं।

सशस्त्र सेनाओं के लिए एकमात्र उत्पादन इकाई होने के कारण आयुध निर्माणियां सामान्यतः लागत नियंत्रण एवं कटौती पर उचित ध्यान दिए बिना उनको दी जाने वाली मांग को पूरा करने पर संकेंद्रित हैं।

- **पर्यावरण के मुद्दे**

निर्माणियों ने विशिष्ट पर्यावरण जोखिमों की पहचान नहीं की अथवा प्रगामी जोखिम न्यूनीकरण उपायों के लिए परिपेक्ष्य योजना नहीं बनायी। पर्यावरण संबंधी उपायों पर निधियों का निवेश सभी निर्माणियों में कम था। ऊर्जा लेखापरीक्षा में असंख्य लंबित

संस्तुतियों ने भावी संभावित बचतों का संकेत दिया, जिसके लिए निधियों की आवश्यकता होगी।

दुर्घटनाओं की सामान्य प्रवृत्ति, विशेषकर आयुध निर्माणी, इटारसी में, ने कर्मचारियों के सुरक्षा प्रशिक्षण में कमी को सूचित किया।

(पैराग्राफ 7.3)

निर्यात आदेशों के विरुद्ध संविदात्मक शर्तों की अनापूर्ति के कारण ₹1.37 करोड़ की हानि

आयुध निर्माणी बोर्ड ने कवच प्रणाली के विकास में स्लिपेज तथा एक भारतीय फर्म द्वारा अग्नि नियंत्रण प्रणाली (कवच का भाग) की गैर-आपूर्ति के कारण निर्यात आदेश के प्रति कवच प्रणाली की सुपुर्दगी में विलंब किया। इसके परिणामस्वरूप विदेशी फर्म ने बोर्ड के बिलों से ₹1.37 करोड़ जुर्माने की कटौती की।

(पैराग्राफ 7.4)

फीडर प्रणाली का अनुपयोग

जून 2006 में ₹4.09 करोड़ की लागत पर राइफल निर्माणी ईशापुर (आर एफ आई) द्वारा स्थापित एक नया उप-केन्द्र, उसके लिए स्विच गियरों को अधिप्राप्त और स्थापित करने के लिए आर एफ आई की विफलता (अप्रैल 2015) के कारण अनुत्पादक पड़ा रहा।

(पैराग्राफ 7.6)

अधिप्राप्ति तथा संपत्ति-सूची प्रबंधन - बी ई एम एल

लाभों में कमी के लिए कारक अनेक घटकों में से एक उच्च संपत्ति-सूची के स्तर था, जिसने कार्यशील पूंजी को प्रभावित किया। कंपनी द्वारा की गई विक्रेता बातचीत क्रय नियमावली और सी वी सी दिशानिर्देशों के विचलन में थीं। दत्त अग्रिमों के लिए प्राप्त बैंक प्रत्याभूतियों की राशि सी वी सी दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थी। अधिप्राप्ति से संबंधित सभी क्रियाकलापों का प्रलेखन अपर्याप्त था। सिस्टम में सभी निविदाओं के बारे में डाटा की अनुपलब्धता के कारण विक्रेता प्रबंधन सुस्पष्ट नहीं था। विक्रेता सूची में द्धिरावृत्ति समाविष्ट थी, जो एस ए पी में पर्याप्त नियंत्रणों के अभाव को सूचित करती है। अग्रिम असमायोजित रहे तथा साथ ही अग्रिमों के अंतर्गत प्रोफार्मा बीजकों के प्रति किए गए भुगतान, लंबित पी ओ के प्रति किए गए तदर्थ भुगतानों

आदि के कारण उसकी निगरानी नहीं की जा सकी। भंडार नियमावली को पिछले 23 वर्षों से अद्यतन नहीं किया गया। अपर्याप्त सुरक्षा विशिष्टताओं के कारण विदेशी विक्रेताओं को कंपनी की एस आर एम प्रणाली पर विश्वास की कमी थी। एस ए पी और एस आर एम के बीच डाटा एकीकरण का कोई प्रावधान नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 8.1)

सम्पत्ति-सूची के संचय के कारण निधियों का अवरोधन- ₹16.14 करोड़

जबकि नयी प्रौद्योगिकी अभी प्रमाणित की जानी थी, मेसर्स बी ई एम एल द्वारा कच्ची सामग्री की निरंतर अधिप्राप्ति तथा उपयुक्त शॉवेल के बिना डम्पर के उत्पादन के परिणामस्वरूप ₹16.14 करोड़ मूल्य के मदों का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 8.3)